संख्या-31/2025/667/77-6-25-6099/291/2021/1355674

प्रेषक,

प्रांजल यादव,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
इन्वेस्ट यू0पी0।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 **लखनऊः दिनांक 28-03-2025**

विषयः उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2021 के अन्तर्गत पात्र 02 औद्योगिक इकाईयों को वित्तीय प्रोत्साहन की धनराशि वितरित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1817/आईयूपी/एसकेएस/पीयूआई/2024-25 दिनांक 11.02.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2021 के अन्तर्गत पात्र 02 औद्योगिक इकाईयों को वित्तीय प्रोत्साहन की धनराशि वितरित किये जाने के संबंध में एजेण्डा उपलब्ध कराते हुए आवश्यक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उपर्युक्तानुसार किये गये अनुरोध के क्रम में निर्धारित प्रक्रियानुसार 02 औद्योगिक इकाईयों के वित्तीय प्रोत्साहन की धनराशि वितरण के संबंध निम्नवत विचार-विमर्श किया गया-

प्रकरण संख्या-1 आईनॉक्स एयर प्रोडक्ट प्रा0लि0

1. मेसर्स आईनॉक्स एयर प्रोडेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दिनांक 16 जनवरी, 2024 को रायबरेली (मध्यांचल क्षेत्र) में अपने मेडिकल ऑक्सीजन एवं औद्योगिक गैसों के विनिर्माण संयंत्र हेतु उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2021 के अंतर्गत प्रोत्साहन संवितरण हेतु आवेदन किया गया था। इस परियोजना का वास्तविक निवेश रू0 143.91 करोड है।

(i) माननीय मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरांत शासनादेश संख्या 39/2022/2467/77-6-2022-6099/66/2021 दिनांक 23 सितंबर, 2022 के अंतर्गत दिनांक 26 अप्रैल, 2023 को लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) निर्गत कर दिया गया था (संदर्भ संख्या: Invest UP/16482/S.K.S/2023-24)। स्वीकृत प्रोत्साहन निम्नानुसार हैं:

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

a. मध्यांचल में पात्र पूंजी निवेश (ईसीआई) का 20% की दर से पूंजीगत सब्सिडी।

b. मध्यांचल में स्टाम्प ड्यूटी का 75% की दर से प्रतिपूर्ति।

(ii) संयंत्र में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा आर्गन गैसों के उत्पादन हेतु 200 टीपीडी वायु पृथक्करण (Air Separation) की क्षमता है (आवेदक के अनुसार)।

(iii) निवेश की आरंभिकतिथि 30 मार्च, 2021 थी एवं वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक 31 अक्टूबर, 2023 को आरंभ हुआ था (आवेदक के अनुसार)। परियोजना की वाणिज्यिक उत्पादन तिथि, जो निर्धारित 30 माह की स्वीकार्य निवेश अवधि के भीतर है, को नोडल एजेंसी के पैनलबद्ध सीए एवं उपायुक्त, डीआईईपीसी, रायबरेली द्वारा सत्यापित किया गया है।

2. O_2 नीति मानक प्रचालन प्रक्रिया (दिनांक 12 जुलाई, 2021 को शासनादेश संख्या 2040/77-6-2021-6099/291/2021 के माध्यम से प्रख्यापित) के प्रस्तर 4.3.4 के अनुसार, वास्तविक निवेश का सत्यापन निम्नलिखित द्वारा किया गयाः

a. पैनलबद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मः मेसर्स ए.जे. मोहन, नई दिल्ली।

b. मूल्यांकक फर्मः मेसर्स एड्रोइट टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

2.1. उपर्युक्त द्वारा सत्यापन प्रतिवेदन के आधार पर, दिनांक 03-02-2025 को मूल्यांकन समिति द्वारा आवेदन का मूल्यांकन किया गया, जिसने निम्नलिखित मों को अस्वीकार करने के उपरांत ₹123.63 करोड़ के स्वीकार्य पात्र पूंजी निवेश की संस्तुतिकी -

• संचालन-पूर्व व्यय, पूंजीकृत व्याज एवं व्यावसायिक सेवाएं
• दिनांक 16.05.2021 (प्रभावी तिथि) से पूर्व अग्रिम भुगतान

- दिनांक 15.11.2023 के उपरांत (प्रभावी अवधि) निवेश पोस्टिंग तिथि एवं भुगतान तिथि
- उत्पादन एवं विनिर्माण से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित न होने वाले व्यय (फर्नीचर एवं फिक्सचर)
- यद्यपि, आवेदन शुल्क तथा भूमि हस्तांतरण शुल्क पट्टा विलेख प्रभार स्वीकार्य माने जाते हैं (जिसे सीए द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था)

2.2. मूल्यांकन समिति द्वारा उच्च स्तरीय समिति से अपेक्षित निम्नलिखित स्पष्टीकरण के अधीन उपरोक्त पात्र पूंजी निवेश की संस्तुति की गई-

2.2.1. चूंकि O_2 नीति में मात्र 30 माह की निवेश अवधि एवं 3 वर्ष की प्रोत्साहन अवधि है, अतः शेष भुगतान (अर्थात स्वीकार्य निवेश अवधि के अतिरिक्त किए जाने वाले भुगतान) पर निम्नानुसार विचार किया जा सकता है:

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

a. पोस्टिंग तिथि को सब्सिडी प्रयोजनों हेतु निवेश तिथि निर्धारित करने की तिथि के रूप में समझा जाएगा, परंतु प्रतिबंध यह रहेगा कि मदोंके सापेक्ष किया गया ऐसा निवेश परियोजना स्थल पर इकाई द्वारा निर्मित/स्थापित एवं प्रचालन योग्य हो, भले ही परिसंपत्तियों हेतु भुगतान स्वीकार्य निवेश अवधि के उपरांत किया गया हो, परंतु स्वीकार्य प्रोत्साहन अवधि के भीतर किया गया हो।

b. यद्यपि, ऐसे प्रोत्साहन इकाई को तभी प्रदान किए जाएंगे जब दावे के आवेदन प्रस्तुत करने के समय स्वीकार्य निवेश अवधि के भीतर निर्धारित सीमा (अर्थात् ₹50 करोड़) तक की वास्तविक पूंजीगत निवेश राशि पूर्ण रूप से भुगतान कर दी गई हो। अर्थात, यदि किसी निवेश की भुगतान तिथि स्वीकार्य निवेश अवधि के अनुवर्ती है, परंतु निर्धारित सीमा प्राप्त हो चुकी है, तो ऐसे मदों के अंतर्गत किए गए वास्तविक निवेश को स्वीकार्य निवेश में सम्मिलित किया जाएगा।

c. यद्यपि, ऐसे शेष भुगतानों का अवलोकन स्वीकार्य प्रोत्साहन अवधि में सब्सिडी की आगामी किश्तों के संवितरण के समय की जाएगी। यदि इस अवधि में आपूर्तिकर्ताओं/विक्रेताओं को देय भुगतानों में किसी प्रकार का डिफॉल्ट पाया जाता है, तो उसे उपयुक्त रूप से समायोजित किया जाएगा।

2.2.2. परंतु, यदि भुगतान की तिथि प्रभावी तिथि से पूर्व है एवं पोस्टिंग की तिथि स्वीकार्य निवेश अवधि में है, तो ऐसे निवेश को स्वीकार्य नहीं माना जाएगा।

3. उच्च स्तरीय समिति द्वारा उपरोक्त की समीक्षा गई एवं निम्नानुसार संस्तुति की-

3.1. यदि किसी निवेश की भुगतान तिथि स्वीकार्य निवेश अवधि के अनुवर्ती अथवापूर्ववर्ती है, परंतु उपकरण की स्थापना हो चुकी है, तो ऐसे मदों को स्वीकार्य पूंजी निवेश का भाग माना जाएगा। यद्यपि, शेष भुगतानों की स्थिति में, ऐसे भुगतानों को अनुवर्ती सब्सिडी किश्तों के संवितरण में अवलोकित किया जाएगा एवं स्वीकार्य प्रोत्साहन अवधि में आपूर्तिकर्ताओं/विक्रेताओं को ऐसे भुगतान में किसी भी अपर्याप्तता की स्थिति में अंतिम सब्सिडी किश्त में समायोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्वीकार्य निवेश अवधि के उपरांत विद्यमान समस्त शेष भुगतानों का समायोजन/भुगतान प्रोत्साहन अवधि में सब्सिडी की अंतिम किश्त तक पूर्ण रूप से कर दिया गया है।

3.2. उपरोक्त के समान ही, समिति द्वारा समस्त ऐसे निवेशों को स्वीकार्य पूंजी निवेश के रूप में विचार करने की संस्तुति की गई है, परंतु प्रतिबंध यह रहेगा कि संयंत्र स्थल पर मदों को विधिवत् स्थापित किया गया हो। इसे इन्वाइस तिथि, ई-वे बिल तिथि, पूंजीकरण तिथि तथा उपयोग में लाने की तिथि के माध्यम से सत्यापित किया जा सकता है, जो स्वीकार्य निवेश अवधि के भीतर हो, भले ही भुगतान अथवा पोस्टिंग स्वीकार्य निवेश अवधि के भीतर की गई हो अथवा नहीं। इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं -

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(i) ऐसी भूमि की स्थिति में जहां भुगतान, नीति की प्रभावी तिथि अर्थात 16.05.2021 से पूर्व किया गया है, परंतु पट्टा विलेख दिनांक 09.06.2021 को निष्पादित किया गया है, जो कि प्रभावी अवधि (16 मई, 2021 15 नवंबर, 2023) के भीतर है, ऐसे मदों को स्वीकार्य माना जा सकता है।

(ii) इसी प्रकार, नीति की प्रभावी तिथि से पूर्व किए गए ₹7.21 करोड़ के संयंत्र एवं मशीनरी हेतु भुगतान को स्वीकार्य माना जाएगा, क्योंकि ऐसे भुगतान प्रभावी तिथि से पूर्व दिए गए क्रय आदेशों (purchase orders) हेतु किए गए थे एवं उनकी इन्वाइस तिथि तथा पोस्टिंग तिथि, जो 25.07.2022 है, स्वीकार्य निवेश अवधि के भीतर है।

3.3. इसके अतिरिक्त, समिति द्वारा उन उपभोग्य सामग्रियों तथा अन्य समान लागतों को अस्वीकृत करने की संस्तुति की गई है, जो फिनिश्ड गुड्स के विनिर्माण से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं हैं। यद्यपि, स्वीकृति, अनुमोदन, अनापत्ति प्रमाणपत्र एवंअनुज्ञप्ति हेतु राज्य/केन्द्रीय अभिकरणों को किया गया अनिवार्य भुगतान स्वीकार्य माना जाएगा, परंतु प्रतिबंध यह रहेगा कि इसकी पावती उपलब्ध हो। उदाहरणार्थ अग्निशमन विभाग से अग्नि अनापत्ति प्रमाणपत्र, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्वीकृति एवं औद्योगिक विकास प्राधिकरण से मानचित्र अनुमोदन हेतु शुल्क सम्मिलित हैं।

4. तदनुसार, उच्च स्तरीय समिति द्वारा संस्तुतियों के अनुसार स्वीकार्य वास्तविक निवेश निम्नानुसार होगा-

क्र. सं.	**मद**	**आवेदक के अनुसार वास्तविक लागत**	**मूल्यांकन द्वारा अनुशंसित**	**एचएलसी द्वारा अनुशंसित**	**टिप्पणी**
A	**B**	**C**		**D**	**E**
1.	भूमि *(स्टाम्प एवं पंजीकरण सहित)*	6.11	6.11	6.11	***उच्च स्तरीय समितिद्वारा भूमि की लागत को सम्मिलित करने की संस्तुति की गई है, जिसे मूल्यांकन में अस्वीकृत कर दिया गया, क्योंकि पट्टा विलेख प्रभावी अवधि के भीतर निष्पादित किया गया है, भले ही भुगतान प्रभावी तिथि से पूर्व किया गया हो।***
	कटौती: अपात्र लागत	-	*5.31*	*0.13*	
	स्वीकार्य	**6.11**	**0.80**	**5.98**	*अन्य अस्वीकृत लागतों में मात्र व्यावसायिक प्रभार, ई-स्टाम्प ड्यूटी*

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

					की लागत सम्मिलित है
2.	भवन	12.19	7.37	7.37	*अस्वीकृत लागतों में वास्तुकला सेवा, संचालन-पूर्व लागत, पूंजीकृत ब्याज सम्मिलित है*
	कटौती: अपात्र लागत	-	*0.74*	*0.74*	
	स्वीकार्य	**12.19**	**6.63**	**6.63**	
3.	संयंत्र एवं मशीनरी	124.45	109.82	109.82	***एचएलसी द्वारा संयंत्र एवं मशीनरी हेतु किए गए ₹7.21 करोड़ के अग्रिम भुगतान को सम्मिलित करने की संस्तुति की गई, जिसे मूल्यांकन द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था, क्योंकि पूर्व में किए गए ऐसे आदेशों की इन्वाइस तिथि एवं पोस्टिंग तिथि प्रभावी अवधि के भीतर है।*** *अन्य अस्वीकृत लागतों में किराया प्रभार, संचालन-पूर्व लागत, पूंजीकृत ब्याज सम्मिलित हैं*
	कटौती: अपात्र लागत	-	*13.63*	*6.42*	
	स्वीकार्य	**124.45**	**96.19**	**103.40**	
4.	अवस्थापना सुविधाएं	-	19.45	19.45	*अस्वीकृत लागतों में स्वीकार्य निवेश अवधि के उपरांत स्थापना की तिथि तथा भुगतान की तिथि सम्मिलित है।*
	कटौती: अपात्र लागत	-	*0.02*	*0.02*	
	स्वीकार्य	-	**19.43**	**19.43**	
5.	अन्य निर्माण लागत	1.16	1.16	1.16	*अस्वीकृत लागतों में फर्नीचर तथा कार्यालय उपकरण तथा समान प्रकृति के व्यय सम्मिलित हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से विनिर्माण अथवा उत्पादन से संबंधित नहीं हैं।*
	कटौती: अपात्र लागत	-	*0.58*	*0.58*	
	स्वीकार्य	**1.16**	**0.58**	**0.58**	
कुल वास्तविक निवेश		**143.91**	**143.91**	**143.91**	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कुल स्वीकार्य पूंजीगत निवेश	143.91	123.63	136.02	

4.1. समिति द्वारा यह भी अवलोकित किया गया कि कंपनी ने आरंभिक चरणों में औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के अंतर्गत ₹27,18,000 की स्टाम्प ड्यूटी छूट का लाभ उठाया था। माननीय मंत्रिपरिषद के निर्देशों (शासनादेश दिनांक 23 सितम्बर, 2022 के) का अनुपालन करते हुए आवेदक द्वारा दिनांक 15 मार्च, 2023 को भारतीय स्टेट बैंक के डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से यह राशि रायबरेली कोषागार में रिफंड कर दी गई थी। तदोपरांत, इन्वेस्ट यूपी द्वारा दिनांक 26 अप्रैल, 2023 को लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) निर्गत किया गया था। अतः आवेदक को नीति प्राविधानों के अनुसार उनके अभ्यावेदन के साथ स्टाम्प ड्यूटी प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी।

4.2. इसके अतिरिक्त, उच्च स्तरीय समिति द्वारा यह संस्तुति की गई कि नोडल एजेंसी को पहली किश्त से संवितरण राशि (परिचालन दिशा-निर्देशों के प्रस्तर7 के अनुसार) का 2% प्रशासनिक व्यय नहीं प्राप्त करना चाहिए, अपितु इसे विभिन्न किश्तों में विभाजित किया जाना चाहिए।

5. उच्च स्तरीय समिति के निर्देशानुसार संशोधित गणना के आधार पर, स्वीकार्य पूंजी सब्सिडी एवं 3 किश्तों में से प्रत्येक हेतु संवितरण राशि निम्नानुसार होगी:

(i) स्वीकार्य वास्तविक पूंजी निवेश ₹136.02 करोड़ होगा।

(ii) नीति के प्रस्तर4.1 के अनुसार, मध्यांचल जनपद में परियोजनाओं हेतु स्वीकार्य पूंजी निवेश का 20% पूंजी सब्सिडी दी जाती है, जो वाणिज्यिक संचालन आरंभ होने के उपरांत तीन समान वार्षिक किश्तों में संवितरित की जाएगी। तद्नुसार:

a. पूंजीगत सब्सिडी ₹136.02 करोड़ का 20% = ₹27.20 करोड़

b. वार्षिक किश्त ₹9.068 करोड़

(iii) प्रथम किश्त में निम्नलिखित को सम्मिलित करके समायोजन किया जाएगा:

a. स्टाम्प ड्यूटी की प्रतिपूर्ति :₹27,18,000

b. प्रशासनिक व्यय की एक तिहाई कटौती: ₹18,13,569 (₹54,40,707 का 1/3, जो ₹27,20,35,373 का 2% है)

(iv) अतः, शुद्ध प्रथम किश्त की राशि ₹9,15,82,889 होगी, जो वित्तीय वर्ष-2025 में देय होगी, जबकि वित्तीय वर्ष-2026 तथा वित्तीय वर्ष-2027 में देय अन्य 2 किश्तों की राशि क्रमशः ₹8,88,64,888.60 होगी।

(v) संदर्भ हेतु निम्नलिखित तालिका में विस्तृत गणना प्रस्तुत है-

क्र.सं.	मद	**स्वीकार्य लाभ - ₹करोड़** (आंकड़े निकटतम **10** तक पूर्णांकित हैं)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1.	स्वीकार्य वास्तविक पूंजी निवेश	**1,36,01,76,866**
2.	**कुल पूंजी सब्सिडी** (मध्यांचल जनपद में पूंजी निवेश का 20%, 3 समान वार्षिक किश्तों में भुगतान किया जाएगा)	**27,20,35,373**
3क	प्रोत्साहन हेतु स्वीकार्यता की तिथि	31.10.2023
3ख	प्रोत्साहन हेतु पात्रता अवधि	3 **वर्ष** **वित्तीय वर्ष 2024-25 से** **वित्तीय वर्ष** 2026-**27 तक**
4.	**पूंजीगत सब्सिडी की वार्षिक किश्त**	**9,06,78,458**
5.	समाविष्टि: स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति	27,18,000.00
6.	**प्रथम किश्त की सकल राशि** ((4)+(5))	9,33,96,458
7.	*(परिचालन दिशा निर्देशों का प्रस्तर 7) संवितरण राशि के 2% का 1/3 भाग* *(₹54,40,707 का 1/3 भाग, अर्थात ₹27,20,35,373 का 2%)*	(18,13,569)
8.	प्रथम किश्त की शुद्ध राशि ((6)-(7))	9,15,82,889
9.	दूसरी किश्त हेतु संवितरण राशि (30.10.2025) *(प्रशासनिक शुल्क की कटौती के उपरांत अर्थात ₹9,06,78,458 में से ₹18,13,569)*	8,88,64,888.60
10.	तीसरी किश्त हेतु संवितरण राशि(30.10.2026) *(प्रशासनिक शुल्क की कटौती के उपरांत अर्थात ₹9,06,78,458 में से ₹18,13,569 कम)*	8,88,64,888.60

प्रकरण संख्या-2 मेसर्स एयर लिक्विड नॉर्थ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

1. मेसर्स एयर लिक्विड नॉर्थ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मथुरा (पश्चिमांचल क्षेत्र) में मेडिकल ऑक्सीजन एवं औद्योगिक गैसों के विनिर्माण के लिए स्थापित परियोजना हेतु अपनी परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन योजना 2021 के अंतर्गत दिनांक 14 सितंबर, 2024 को संवितरण संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया गया था। इस परियोजना का वास्तविक निवेश ₹297.60 करोड़ है।

(आवेदक द्वारा अद्यतित प्रारूप-2 में प्रस्तुत बिल के अनुसार)

1. आवेदक को दिनांक 28 दिसंबर, 2021 को औद्योगिक विकास अनुभाग-6 केशासनादेश संख्या 3633/77-6-2021-6099/606/2021 के अंतर्गत लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) निर्गत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

किया गया था। एलओसी में निवेश की राशि ₹362.59 करोड़ है। अनुमोदित प्रोत्साहन निम्नवत है:-

a. पश्चिमांचल में स्वीकार्य पूंजीगत निवेश का 15% की दर से पूंजी सब्सिडी ।

b. पश्चिमांचल क्षेत्र में स्टाम्प ड्यूटी का 50% प्रतिपूर्ति।

नीतिगत प्राविधानों के अनुसार, बाद में एलओसी को संशोधित कर निवेश की प्रभावी अवधि 30 माह से छह माह विस्तारित कर दिनांक 15 मई, 2024 तक कर दी गई थी। इस विस्तार को माननीय मंत्रिपरिषद द्वारा औद्योगिक विकास अनुभाग-6 के शासनादेश संख्या 52/2023/3341/77-6-2021-6099/210/2023 दिनांक 16 अक्टूबर, 2023 के माध्यम से अनुमोदित किया गया। अतः परियोजना की प्रभावी निवेश अवधि दिनांक 16.5.2021 से 15.5.2024 है।

(ii)आवेदक के अनुसार, परियोजना में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा आर्गन गैसों के उत्पादन की स्थापित क्षमता 362 टीपीडी है।

(iii) आवेदक के अनुसार, निवेश की आरंभिक तिथि 1 जुलाई, 2021 है एवं वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ होने की तिथि 10 मई, 2024 है। इसकी पुष्टि डीआईसी-मथुरा तथा नोडल एजेंसी में पैनलबद्ध सीए द्वारा की गई है।

2. O_2 नीतिमानक प्रचालन प्रक्रिया (दिनांक 12 जुलाई, 2021 को निर्गत शासनादेश संख्या 2040/77-6-2021-6099/291/2021 के माध्यम से प्रख्यापित) के प्रस्तर 4.3.4 की आवश्यकतानुसार, वास्तविक निवेश का सत्यापन निम्नलिखित द्वारा किया गया:

iv. पैनलबद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म :मेसर्स असीजा एंड एसोसिएट्स एलएलपी

v. पैनलबद्ध मूल्यांकक फर्मः मेसर्स एलएसआई फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

उक्त सत्यापन आख्या के आधार पर, समिति द्वारा आवेदन का मूल्यांकन दिनांक 24-02-2025 को किया गया, जिसके द्वारा निम्नलिखित मदों में ₹38.44 करोड़ की अस्वीकृति के उपरांत ₹259.16 करोड़ के स्वीकार्य पात्र पूंजी निवेश की संस्तुति की गई -

- *संचालन-पूर्व व्यय, पूंजीकृत ब्याज एवं व्यावसायिक सेवाएं, रॉयल्टी शुल्क, श्रम लागत, परामर्श शुल्क, आदि।*
- *दिनांक 10.05.2024 के उपरांत निवेश पोस्टिंग तिथि तथा भुगतान तिथि (प्रभावी अवधि)*
- *उत्पादन एवं विनिर्माण से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित न होने वाले व्यय (फर्नीचर एवं फिक्सचर आदि)*

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. उच्च स्तरीय समिति द्वारा उपरोक्त की समीक्षा की गई एवं निम्नलिखित संस्तुति की गई -

1.1. चूंकि, O_2 नीति के प्रस्तर 3.7 के अनुसार, "पात्र पूंजी निवेश" का तात्पर्य नीति की प्रभावी अवधि में किए गए पूंजी निवेश से है एवं प्रस्तर 3.4 के अनुसार, प्रभावी अवधि नीति की प्रख्यापन तिथि से 30 माह है, जिसको एयर लिक्विड हेतु 6 माह हेतु विस्तारित कर दिया गया था। अतः, इस स्थिति में प्रभावी अवधि दिनांक 16.05.2021 से 15.05.2024 तक थी, जिसे आवेदक द्वारा किए गए निवेश पर विचार करने हेतु लागू किया जा सकता है एवं वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि मशीन पात्र निवेश अवधि में स्थापित की गई तथा इन्वाइस/भुगतान भी दि. 15.5.2024 से कर दिया गया।

1.2. समिति द्वारा यह भी संस्तुति की गई कि यदि किसी निवेश की पोस्टिंग तिथि अथवाइन्वाइस तिथि अथवा भुगतान तिथि स्वीकार्य निवेश अवधि के अनुवर्ती अथवा पूर्ववर्ती है, परंतुपात्र निवेश अवधि में संयंत्र स्थल पर उपकरणों की स्थापना की जा चुकी है, तो ऐसे निर्यात को स्वीकार्य पूंजी निवेश का भाग माना जाएगा। शेष भुगतान के प्रकरण में, ऐसे भुगतानों को आगामी सब्सिडी किश्तों के संवितरण में ट्रैक किया जाएगा एवं स्वीकार्य प्रोत्साहन अवधि में स्थापन हेतु आपूर्तिकर्ताओं/विक्रेताओं को ऐसे भुगतान में किसी भी कमी (default) की स्थिति में अंतिम सब्सिडी किश्त में समायोजित किया जाएगा।

1.3. तदनुसार, मूल्यांकन समिति द्वारा अस्वीकृत निम्नलिखित निवेश मदों को उच्च स्तरीय समिति द्वारा स्वीकार्य माना गया है –

(i) समस्त निवेश मदों जिनकी पोस्टिंग तिथि वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि के अनुवर्ती है, अर्थात दिनांक 10-05-2024, परंतु इन्वाइस/भुगतान दिनांक 15.05.2024 से पूर्व है, उन्हें स्वीकार्य माना जाएगा क्योंकि मशीन/उपकरण को पात्र निवेश अवधि के दौरान स्थापित किया गया है। इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं -

क्र . .सं	**मद**	**निवेश (रू करोड में)**	**टिप्पणी**
1	भवन	0.18	प्रभावी अवधि के भीतर इन्वाइस की तिथि
2	संयंत्र एवं मशीनरी	17.27	प्रभावी अवधि के भीतर इन्वाइस एवं भुगतान तिथि
3	अवस्थापना सुविधाएं	9.97	प्रभावी अवधि के भीतर इन्वाइस एवं भुगतान तिथि
4	अन्य लागत	1.45	प्रभावी अवधि के भीतर इन्वाइस एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

			भुगतान तिथि
	योग	**28.87**	

(ii) उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) को ₹5,00,000 का आवेदन मूल्य के रूप में दीर्घकालिक पट्टे पर भूमि के आवंटन हेतु अग्रिम भुगतान किया गया है, अतः इसको अनुमन्य किया जाना चाहिए क्योंकि भुगतान प्रभावी तिथि से पूर्व किया गया था, परंतु भूमि की रजिस्ट्री दिनांक 9 अगस्त, 2023 को की गई, जो नीति की प्रभावी अवधि में आता है।

(iii) इसके अतिरिक्त, समिति द्वारा भूमि के प्रीमियम की लागत के रूप में यूपीसीडा को किश्तों में क्रय की गई भूमि हेतु किए गए ₹65,57,377 के व्याज के भुगतान को सम्मिलित करने की संस्तुति की गई, क्योंकि

4. तद्नुसार, उच्च स्तरीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार स्वीकार्य वास्तविक निवेश निम्नानुसार है -

क्र सं	मद	***कुल वास्तविक लागत*** *(आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए बिलों के अनुसार)*	***मूल्यांकन के अनुसार संस्तुत*** *(अपात्र लागत)*	***एचएलसी के अनुसार संस्तुत*** *(अपात्र लागत)*	**टिप्पणी (अपात्र लागत)**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**
1	भूमि *(स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क सहित)*	6.56	5.85 (0.7099)	6.56 (0.004)	***एचएलसी द्वारा भूमि हेतु अग्रिम भुगतान (0.05 करोड़) तथा ब्याज भुगतान (0.656 करोड़) को सम्मिलित करने की संस्तुति की गई है, जिसे मूल्यांकन समिति द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था।*** *अन्य अस्वीकृत लागतों में विविध भुगतान (0.004) सम्मिलित हैं*
2	भवन	5.90	5.61 (0.29)	5.79 (0.11)	***एचएलसी द्वारा प्रभावी अवधि के भीतर इन्वाइस तिथि वाले सिविल कार्य लागत (0.18 करोड़) को सम्मिलित करने की संस्तुति की गई है, जिसे मूल्यांकन समिति द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था*** *अन्य अस्वीकृत लागतों में रॉयल्टी भुगतान (0.11 करोड़) सम्मिलित है*

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3	संयंत्र एवं मशीनरी	257.35	237.65 (19.70)	254.92 (2.43)	***एचएलसी द्वारा प्रभावी अवधि के भीतर इन्वाइस/भुगतान की तिथि वाले संयंत्र एवं मशीनरी लागतों (17.27 करोड़) को सम्मिलित करने की संस्तुति की गई है, क्योंकि मशीन को पात्र निवेश अवधि में स्थापित किया गया है, जिसे मूल्यांकन समिति द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था*** *अन्य अस्वीकृत लागतों में रॉयल्टी का भुगतान, उपभोग्य वस्तुएं एवं अन्य लागतें सम्मिलित हैं, जिनमें इन्वाइस/पोस्टिंग तिथि एवं स्वीकार्य निवेश अवधि के उपरांत संयंत्र एवं मशीनरी की स्थापना की तिथि सम्मिलित है (2.43 करोड़)*
4	अन्य निर्माण	0.86	0.21 (0.65)	0.21 (0.65)	*अस्वीकृत लागतों में प्रारंभिक तथा संचालन-पूर्व व्यय, तकनीकी/परामर्श शुल्क (0.65 करोड़) सम्मिलित हैं*
5	अवस्थापना सुविधाएं	18.54	7.79 (10.75)	17.76 (0.78)	***एचएलसी द्वारा प्रभावी अवधि के भीतर इन्वाइस/भुगतान की तिथि वाले अवस्थापना की लागत (9.97 करोड़) को सम्मिलित करने की संस्तुति की गई है, जिसे मूल्यांकन समिति द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था*** *अन्य अस्वीकृत लागतों में वे लागतें सम्मिलित हैं जो उत्पादन से संबंधित नहीं हैं (आईटी परिसंपत्तियां, गेस्ट हाउस, बीमा/वित/कर बिल) तथा अन्य लागतें जिनकी इन्वाइस/पोस्टिंग तिथि स्वीकार्य निवेश अवधि के बाद है*
6	अन्य परिसंपत्तियां /लागत	8.39	2.05 (6.34)	3.50 (4.89)	***एचएलसी द्वारा प्रभावी अवधि के भीतर इन्वाइस/भुगतान की तिथि वाली अन्य लागतों (1.45 करोड़) को सम्मिलित करने की संस्तुति की गई है, जिसे मूल्यांकन समिति द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था*** *अन्य अस्वीकृत लागतों में श्रम लागत एवं अन्य लागतें सम्मिलित हैं, जिनकी इन्वाइस/पोस्टिंग तिथि स्वीकार्य निवेश अवधि के अनुवर्ती है*

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7	योग	297.60*	259.16 (38.44)	288.74 (8.87)	
नोट: समिति द्वारा यह अवलोकित किया गया कि प्रारूप ***2*** के अनुसार आवेदक ने ***₹293.79*** करोड़ का वास्तविक निवेश घोषित किया है, परंतु ***₹297.60*** करोड़ के बिल प्रस्तुत किए हैं, जिन्हें नोडल एजेंसी में पैनलबद्ध सीए द्वारा सत्यापित किया गया है। आवेदक को प्रस्तुत बिलों के अनुसार घोषित निवेश के अनुरूप संशोधित *सीए* प्रमाणित (प्रारूप 2 एवं प्रारूप 3) प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है, जो कि एचएलसी की तिथि तक प्रतीक्षित है।					

4.1. समिति द्वारा यह भी अवलोकित किया गया कि कंपनी ने दिनांक 09.08.2023 को ₹12,39,000 की स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान किया है एवं नीति के प्राविधानों के अनुसार उसकी प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन किया है, जो कि नीति के प्रस्तर4.2 के अनुसार पश्चिमांचल क्षेत्र में 50% है, जो कि ₹6,19,500 है।

4.2. इसके अतिरिक्त, उच्च स्तरीय समिति द्वारा यह संस्तुति की गई कि नोडल एजेंसी को (मानक संचालन प्रक्रिया के दिशा निर्देशों के प्रस्तर 7 के अनुसार) संवितरण राशि के 2% के प्रशासनिक व्यय को ही प्राप्त करना चाहिए तथा अनुमोदित प्रोत्साहन-लाभ का सम्पूर्ण 2% प्रथम किश्त से नहीं घटाया जाना चाहिए, अपितु इसे प्रत्येक किश्त से लिया जाना चाहिए।

5. उच्च स्तरीय समिति की संस्तुति के अनुसार संशोधित गणना के आधार पर, स्वीकार्य पूंजी सब्सिडी एवं 3 किश्तों में से प्रत्येक हेतु संवितरण राशि निम्नानुसार होगी-

(i) स्वीकार्य वास्तविक पूंजीगत निवेश ₹288.74 करोड़ है।

(ii) नीति के प्रस्तर4.1 के अनुसार, पश्चिमांचल जनपद में स्वीकार्य पूंजी निवेश का 15% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाती है, जो वाणिज्यिक संचालन आरंभ होने के उपरांत 3 समान वार्षिक किश्तों में वितरित की जाएगी।

अत:-

a. पूंजीगत सब्सिडी =₹288.74 करोड़ का 15% = ₹43.31 करोड़

b. वार्षिक किश्त =₹14.43 करोड़

(iii) प्रथम किश्त में निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए समायोजित किया जाएगा:

a. स्टाम्प ड्यूटी की प्रतिपूर्ति (₹0.12 करोड़ का 50%) = ₹0.06 करोड़

b. प्रशासनिक व्यय की एक तिहाई कटौती =₹28,87,351

(₹86,62,053.69 का 1/3, जो ₹43,31,02,684 का 2% है)

(iv) इस प्रकार, शुद्ध प्रथम किश्त की राशि ₹14,20,99710 होगी, जबकि अन्य 2 किश्तों की राशि ₹14,14,80210 होगी।

(v) निम्नलिखित तालिका में विस्तृत गणना प्रस्तुत है-

क्र.	**मद**	**स्वीकार्य लाभ**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सं.		**(करोड़ रुपये में)** *(आंकड़े निकटतम 10 तक पूर्णांकित)*
1.	**स्वीकार्य पूंजी निवेश**	**2,88,73,51,229**
2.	पूंजीगत सब्सिडी (मध्यांचल जनपद में पूंजीगत निवेश का 15%, 3 समान वार्षिक किश्तों में भुगतान किया जाएगा)	43,31,02,684
3a	प्रोत्साहन हेतु स्वीकार्यता की तिथि	10.05.2024
3b	पात्रता अवधि में वितरित किए जाने वाले प्रोत्साहन-लाभ	3वर्ष **वित्तीय वर्ष** 2024-**25** से 2026-**27** तक
4.	**पूंजीगत सब्सिडी की वार्षिक किश्त**	14,43,67,561
5.	स्टाम्प ड्यूटी की प्रतिपूर्ति ***(संयंत्र एवं बोरवेल भूखण्ड हेतु मुख्य भूखण्ड पर भुगतान की गई स्टाम्प ड्यूटी सम्मिलित है)***	*6,19,500* *(12,39,000 का 50%)*
6.	प्रथम किश्त की सकल राशि ((4) +(5))	**14, 49,87,061**
7.	*कटौती: प्रशासनिक व्यय के माध्यम से प्राप्त की जाने वाली राशि* *(परिचालन दिशा निर्देशों का प्रस्तर7) संवितरण राशि के **2%** का **1/3** (क्रमांक **2** एवं **5)***	*(28,87,351)* *क्रमांक 2+क्रमांक 5 पर गणना की गई*
8.	**प्रथम किश्त की शुद्ध राशि ((6)-(7))**	**14,20,99,710**
9.	**दूसरी किश्त हेतु संवितरण राशि** (30.10.2025) ***(प्रशासनिक शुल्क की कटौती के उपरांत अर्थात*** *₹14,49,87,061* ***में से*** *₹28,87,351* ***कम)***	14,14,80,210
10.	तीसरी किश्त हेतु संवितरण राशि (**30.10.2026)** *(प्रशासनिक शुल्क की कटौती के उपरांत अर्थात* ***₹14,49,87,061*** *में से* ***₹28,87,351*** *कम)*	14,14,80,210

3- अत: उपर्युक्तानुसार वर्णित तथ्यों, उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2021 एवं तदनुक्रम में निर्गत शासनादेश संख्या-2040/77-6–2021-6099/291/2021 दिनांक 12.07.2021 तथा पत्र संख्या-493/77-6-2025/6099/ 606/2021/1577023 दिनांक 07.03.2025 द्वारा निर्गत HLC के कार्यवृत्त में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन एतद्द्वारा श्री राज्यपाल उक्त 02 औद्योगिक इकाईयों को अनुमन्य प्रस्तावित वित्तीय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रोत्साहन की धनराशि की प्रथम किस्त के वितरण किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

तदनुसार स्वीकृत धनराशि की मांग के संबंध में धनराशि की मांग का प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
प्रांजल यादव
सचिव।

संख्या-31/2025/667(1)/77-6-25-6099/291/2021/1355674तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव /प्रमुख सचिव/खाद्या सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन वित्त, न्याय, एमएसएमई, स्टाम्प एवं निबन्धन, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. निजी सचिव, सचिवविशेष सचिव/, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडागीडा।/यीडा/ग्रेटर नोएडा/नोएडा/यूपीडा/
7. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
8. प्रबंध निदेशक, पिकप।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रामध्यान रावत
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।